



2026:AHC:31708

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-616/2026

शिव यादव और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

रामजी और 19 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अजीत कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री लेख राज सिंह और प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (जिसे आगे "यूपीजेडए एवं एल आर अधिनियम" कहा गया है।) की धारा 299 बी के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 के पिता द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसे दिनांक 05.05.2025 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा स्वीकृत किया गया था। दिनांक 5.5.2025 के विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की ओर से आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर अपील की सुनवाई अतिरिक्त आयुक्त ने किया, जिन्होंने दिनांक 23.08.2025 के निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय के दिनांक 5.5.2025 के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया और मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष वापस भेज दिया ताकि वह मुद्दों को निर्धारित करने और पक्षों को सुनने के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद मुकदमें का निर्णय करें। अतिरिक्त आयुक्त के दिनांक 23.8.2025 के निर्णय के विरुद्ध निजी प्रतिवादी की ओर से दूसरी अपील दायर की गई है, जिसे विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्धारित करने के बाद स्वीकार कर लिया गया है। राजस्व बोर्ड ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 23.8.2025 को पारित निर्णय पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। अतः निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर कर दी गई है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



“(I). अभिलेख मंगवाकर दिनांक 21.01.2026 को पारित आदेश को निरस्त करने का आदेश, निर्देश या उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी किया जाए, जो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज के माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या एसए/4426/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या एएल/20251470004426 (श्रीराम और अन्य बनाम शिव यादव और अन्य) में पारित किया गया था, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 01 के रूप में संलग्न है।

(II). अभिलेख मंगवाकर दिनांक 05.05.2025 को पारित आदेश को निरस्त करने का आदेश, निर्देश या उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी की जाए, जो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज के माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 4596/2021, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या में पारित किया गया था।“ डी202114700004596 (श्रीराम और अन्य बनाम शिव यादव और अन्य), रिट याचिका के अनुपालन संख्या 1 के रूप में संलग्न है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा नितली अदालत के फैसले और डिफ्री को निरस्त करने और मामले को निचली न्यायालय के समक्ष वापस भेजने में उचित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, ताकि उपजावा एवं कानूनी अधिकार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत मुकदमें का निपटारा मुद्दों को निर्धारित करने और पक्षों को विधि के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद किया जा सके। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित पुनर्विचार आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील विचारणीय नहीं है, इस प्रकार राजस्व बोर्ड ने दूसरी अपील को स्वीकार करके अवैधता की है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील को विचारणीय न होने के कारण निस्तारित कर देना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिनिधियों के विद्वान अधिवक्ता और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ताने तर्क किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा दूसरी अपील को स्वीकार करने और अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को राजस्व बोर्ड के समक्ष कार्यवाही का विरोध करना चाहिए और वे विचारणीयता के संबंध में कोई भी आपति राजस्व बोर्ड के सामने उठा सकते हैं।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 के पिता द्वारा उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत दायर मुकदमें को निचली न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अपील में निचली अदालत के फैसले और डिफ्री को निरस्त कर दिया गया और मामले को निचली अदालत के समक्ष नए सिरे से कार्यवाही करने के लिए वापस भेज दिया गया। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि राजस्व बोर्ड ने दूसरी अपील स्वीकार कर ली है और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 23.08.2025 को पारित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है।

7. चूंकि विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद राजस्व बोर्ड के समक्ष दूसरी अपील स्वीकार कर ली गयी है, इसलिए राजस्व बोर्ड के लिए यह उचित होगा कि वह उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत मुकदमे की कार्यवाही के संबंध में अपील में पारित पुनर्विचार आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील की स्वीकार्यता के संबंध में याचिकाकर्ताओं की आपति पर विचार करते हुए मामले का निर्णय करें।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर राजस्व बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील की स्वीकार्यता के संबंध में उचित आवेदन इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राजस्व बोर्ड याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर विचार करेगा और इस आदेश का प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि राजस्व बोर्ड को लगता है कि द्वितीय अपील स्वीकार्य नहीं है, तो वह कार्यवाही को परिवर्तित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है। राजस्व बोर्ड को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद मामले की कार्यवाही का अंतिम निर्णय शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि के तीन महीने की अवधि के भीतर करें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

रमीज़

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”